

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 209/2018

1. श्रीमती केसरी पत्नी स्व० श्री रामसहाय, जाति-हरियाणा ब्राम्हण, निवासी-आकेडा चौड, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर।
2. गोपाल पुत्र स्व० श्री रामसहाय, जाति-हरियाणा ब्राम्हण, निवासी-आकेडा चौड, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. रणजीता पुत्र स्व० श्री रामनाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
2. लल्लू उर्फ लाला पुत्र स्व० श्री रामनाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर। (मृतक)
 - 2/1. मन्नी देवी पत्नी स्व० श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
 - 2/2. श्रवण पुत्र स्व० श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
 - 2/3. कालू पुत्र स्व० श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
 - 2/4. महेश पुत्र स्व० श्री लल्लू उर्फ लाला, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व० श्री रामनाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
4. बरदा उर्फ फूलचंद पुत्र स्व० श्री रामनाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।
5. प्रबंधक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा चौमू, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।
6. प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा चौमू, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला-जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर दिनांक 11.10.1989 मिसल सं० 387/89 वाके ग्राम आकेडा चौड)



उपस्थित:-

1. श्री घीसालाल कुमावत, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री प्रताप सिंह सिरोही, अभिभाषक, रेस्पोडेंट सं० 1, व 4 तथा 2/1 लगा 2/4 की ओर से।
3. श्री भानू पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेंट सं० 3 की ओर से।
4. पेरोंकार सरकार, रेस्पोडेंट सं० 7 की ओर से।
5. रेस्पोडेंट सं० 5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.11.2019


यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम आकेडा चौड, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 11.10.1989 के विरुद्ध पेश की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार, आमेर द्वारा हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व 486 की भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करायी जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162, 486 स्थित ग्राम आकेडा चौड, तहसील-आमेर गत ख0नं0 80 व 215 से बने है जिसके संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष रामप्यारी बेवा नाथूलाल वगै0 ने साबिक ख0नं0 66, 80, 89, 225, 202, 359, 32/376 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा व न्यायालय सहायक कलक्टर, आमेर में उनवानी वाद नाथूलाल बनाम रमश्या आराजी साबिक ख0नं0 94, 102, 104, 155, 153, 215, 233, 237, 238, 279, 282, 284, 299, 350, 354, 357 कुल रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा थे जिनमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल कित्ता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 126 व 127 दिनांक 21.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू-प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी में से साबिक ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू-प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं0 387/1989 आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा सहायक भू-प्रबंध अधिकारी से विधि-विरुद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 में अपनी माता के नाम से गलत आदेश जारी करवा लिये।

जबकि रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत तथ्य असत्य एवं अनघट्ट होने के कारण अस्वीकार है। अपीलान्ट्स के पति व पिता रमश्या उर्फ रामसहाय एवं रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध रामप्यारी बेवा नाथूलाल एवं नाथूलाल के पुत्रों द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण




द्वारा वादग्रस्त भूमि ख0नं0 159, 160, 161, 162, 486 इसके साबिक ख0नं0 80 एवं 215 है व अन्य कृषि भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा आदेश दिनांक 17.03.1970 को खारिज किया गया है, जिसमें ख0नं0 80 पर रेसपोडेन्ट के पूर्वज रामनाथ का कब्जा काशत होना पाया गया है। जिसके विरुद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट के पिता व पत्नी को भी पक्षकार बनाया गया था। पक्षकारों द्वारा आपस में राजीनामा होने पर अपील का फैसला दिनांक 12.08.1974 को हुआ जिसमें ख0नं0 80 रेसपोडेन्ट्स के हिरसे में आयी तब से ही रेसपोडेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत है। अतः रेफरेन्स के पक्ष में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आकेडा चौड, तहसील-आमेर के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत ख0नं0 80 से व ख0नं0 486 गत ख0नं0 215 से बने है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके लडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल कित्ता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 126 व 127 दिनांक 21.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू-प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू-प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा मिसल नं0 387/1989 में आदेश दिनांक 11.10.1989 के द्वारा रेसपोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को विधवा, अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति होने के कारण पता नहीं चल सका। अपीलान्ट्स द्वारा लोन लेने के लिये जमाबंदी लेने के लिए वल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम दिनांक 03.10.2012 को उन्हें यह ज्ञात हुआ कि साबिक ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 उनके नाम नहीं है यह भूमि राजस्व रिकार्ड में रेसपोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के नाम दर्ज है। रेसपोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 से जानकारी करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि सेटलमेंट के समय ही




[Handwritten signature]

यह वादग्रस्त भूमि हमने अपने नाम करवा ली है। सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना किसी आधार होने के कारण खारिज योग्य है। भू-प्रबंध विभाग को केवल मात्र तीन परिस्थितियों में ही प्रचलित इन्द्राजात को बदलने का अधिकार है :-

1. सक्षम न्यायालय की डिक्री 2. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3. विरासत। अपीलान्धीन आदेश इन तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। अतः सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.1989 निरस्त किया जावे तथा माननीय राजस्व मण्डल के मुकदमा नं० 140/1970 अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 की पालना में नामान्तरकरण सं० 126 दिनांक 21.09.1977 के द्वारा जमाबंदी में दर्ज किये गये साबिक खातेदारी इन्द्राजों के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज अपीलान्त के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, आमेर को निर्देशित किया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट्स के पति व पिता रमश्या उर्फ रामसहाय एवं रेस्पोंडेन्ट के खिलाफ रामप्यारी बेवा नाथूलाल एवं नाथूलाल के पुत्रों द्वारा एक वाद 14/1964 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी एवं अन्य कृषि भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.03.1970 द्वारा खारिज किया गया जिसमें ख०नं० 80 पर रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वज रामनाथ का कब्जा होना पाया गया था जिसके कारण उक्त वाद निर्णय दिनांक 17.03.1970 द्वारा निरस्त किया गया था। अपीलान्ट्स को ख०नं० 80 के संबंध में रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा-काश्त होना एवं उसके खातेदारी होने का तथ्य की जानकारी थी। तत्पश्चात् उक्त वाद के निर्णय दिनांक 17.03.1970 के विरुद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलान्ट्स के पति एवं पिता को पक्षकार बनाया गया था जिसमें पक्षकारों द्वारा आपस में राजीनामा किया गया एवं दिनांक 12.08.1974 को राजीनामों के आधार पर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में ख०नं० 80 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा रेस्पोंडेन्ट के हिस्से में आयी तथा तब से ही वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोंडेन्ट का लगातार कब्जा है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को लगातार रही है। वादग्रस्त भूमि पर 1985-86 के दौरान भू-प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि के पर्चे सेटलमेंट में रेस्पोंडेन्ट्स के नाम अपील जिस पर भी अपीलान्ट्स द्वारा कभी कोई उज्र नहीं किया गया। इसके पश्चात् ख०नं० 80 के नये नं० वर्ष 1989 से बने हुए हैं उनका भी अपीलान्ट्स को पूर्ण ज्ञान था और अपीलान्ट्स द्वारा कभी कोई विरोध नहीं किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपने अपील में यह तथ्य प्रकट किया है कि दिनांक 03.10.2012 को उसको सर्वप्रथम लोन लेने के लिए पटवारी हल्का से जानकारी करने पर साबिक ख०नं० 80 उसके खाते में



नही होने की जानकारी मिली है। जबकि रेस्पोजेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया गया था। जिसमें वर्ष 2004 में अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाते हुए पूर्व ख0नं0 80 के साथ-साथ ख0नं0 215 की कृषि भूमि भी रेस्पोजेन्ट के नाम दर्ज कर दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए स्वयं रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साबिक ख0नं0 215 जिसके हाल ख0नं0 486 की 0.54 हे0 भूमि को अपीलान्ट्स के नाम लिखाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 04.01.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को साबिक ख0नं0 80 की भूमि रेस्पोजेन्ट के नाम होने की पूर्ण जानकारी थी। सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय में पूर्व के इन्द्राजात को ही रिपीट किया है। सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.1989 द्वारा विधि अनुसार पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा 23 वर्ष पश्चात् अपील दायर की गई है। जबकि अपीलान्ट्स को प्रकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण निरस्त की जावें।

हमने परोकार सरकार की बहस सुनी। दौरान बहस परोकार सरकार ने कथन किया कि भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.1989 विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। हमने सर्व प्रथम उभय पक्षों द्वारा मियाद बिन्दु के संबंध में की गई बहस पर अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम आकेडा चौड, तहसील-आमेर के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 गत ख0नं0 80 से व ख0नं0 486 गत ख0नं0 215 से बने है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के मुकदमा नं0 140/1970 में जरिये राजीनामा अपील डिक्री दिनांक 05.02.1975 जारी की गई थी, जिसमें अपीलान्ट केसरी व उसके सडके गोपाल के हक में साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279, 238, 215 कुल कित्ता 10 जरिये अपील डिक्री हक में दिये गये थे। नामान्तरकरण सं0 126 के द्वारा अपीलान्ट के नाम से साबिक ख0नं0 94, 80, 89, 104, 282, 302, 284, 279,




[Handwritten signature]

238, 215 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया था जो दौराने भू-प्रबंध जमाबंदी में दर्ज था।

अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के ख0नं0 80 के हाल ख0नं0 159, 160, 161, 162 व साबिक ख0नं0 215 के हाल ख0नं0 486 को दौराने भू-प्रबंध कार्यवाही के सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा पुराने रिकार्ड का बिना अवलोकन किये मात्र रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा बिना उभय पक्षों को सुने एक तरफा कार्यवाही करते हुए मनमाने तौर पर आदेश जारी किया गया है। जबकि भू प्रबन्ध अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह प्रकरण में निर्णय से पूर्व उभय पक्षों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। उक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्णय उभय पक्षों का सुनकर पारित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एक पक्षीय/विधि अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। अधीस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटायी जावे।



दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. अशोक कुमार)
बाबांरक्त कलक्टर (चतुर्थ);
जयपुर